

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ 4( ) परावि/पीसी/निरायो/बजट/2013-14/ 1036

जयपुर, दिनांक : 27.09.13

(प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या - 34/2013-14)

पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध विकास कोष की वर्ष 2013-14 की द्वितीय किस्त की राशि रूपये 165,22,72,500/ (अक्षरे राशि रु. एक सौ पैसठ करोड बाईस लाख बहत्तर हजार पांच सौ मात्र) ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में संलग्न सारणीनुसार आफलाईन हस्तान्तरण किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। इस राशि का उपयोग विभागीय पत्र क्रमांक 857 दिनांक 9.9.2011 द्वारा जारी योजना के दिशानिर्देशानुसार तथा राज्य वित्त आयोग चतुर्थ के अन्तरिम दिशानिर्देशानुसार ही किया जावेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति हेतु प्रावधित राशि एवं महिलाओं एवं बालिकाओं पर व्यय हेतु जेण्डर बजट हेतु प्रावधित 48 प्रतिशत राशि का व्यय इन वर्गों के कल्याणार्थ किया जावेगा। इस राशि का विकलेय मद निम्न प्रकार है:-

बजट मद

2515 -अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

198 --ग्राम पंचायतों को सहायता

मांग सं. 41 (22) - पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध विकास कोष [02]-कार्यकलाप/ गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवेतन) आयोजना	मांग सं. 30 (23) - पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध विकास कोष [02]-कार्यकलाप/ गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवेतन) आयोजना	मांग सं. 51 (24) - पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध विकास कोष [02]-कार्यकलाप / गतिविधियां 12-सहायतार्थअनुदान (गैरसंवेतन) आयोजना	योग (राशि लाखों में)
9943.9325	2782.3150	3796.4775	16522.7250
अक्षरे राशि रु. निन्यानवे करोड तियालिस लाख तिरानवे हजार दो सौ पचास मात्र	अक्षरे राशि रु. सताईस करोड बियासी लाख इकतीस हजार पांच सौ मात्र	अक्षरे राशि रु. सेतीस करोड छियानवे लाख सेतालिस हजार सात सौ पचास मात्र	अक्षरे राशि रु. एक सौ पैसठ करोड बाईस लाख बहत्तर हजार पांच सौ मात्र


यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 331300750 दिनांक 27.09.2013 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है। उक्त राशि राज्य वित्त आयोग चतुर्थ की अनुशंसा के तहत समायोजन की शर्त पर आवंटित की जा रही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)राजस्थान जयपुर ।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदय, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-6) विभाग ।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मागलात) विभाग ।
6. स्टेट लीड बैंक आफिसर, को प्रेषित कर अनुरोध है कि संलग्न सारणी अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में उक्तानुसार राशि अन्तरित अविलम्ब हो जाये, इसकी सुनिश्चितता हेतु समन्वय करने का श्रम करावें।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय को प्रेषित कर अनुरोध है कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे एफ.वी.सी. बिलों के अनुसार चैक तैयार करवाकर विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
8. बैंक को संलग्न सारणी प्रेषित कर लेख है कि आपके बैंक एवं आपके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में स्थित ग्राम पंचायतों के खातों में पंचायतों के नाम के सम्मुख अंकित राशि सम्बन्धित खातों में अन्तरित करवाने की एक कार्य दिवस में व्यवस्था करावें, तथा विभाग को अविलम्ब सूचित करें।
9. चीफ मैनेजर / ब्रान्च मैनेजर बैंक को संलग्न सारणी प्रेषित कर लेख है कि सारणी में अंकित ग्राम पंचायतों के सम्मुख अंकित राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट तैयार कराकर अविलम्ब संबंधित ग्राम पंचायत को प्रेषित कराने की व्यवस्था करावें।
10. समस्त चीफ मैनेजर / ब्रान्च मैनेजर संबंधित बैंक को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सारणियों के अनुसार खाता संख्या संबंधित ग्राम पंचायत का ही है इसकी पुष्टि उपरान्त ही राशि का अन्तरण किया जावे। गलत खाते में अन्तरण नहीं हो इसका ध्यान रखा जावे। यदि किसी भी ग्राम पंचायत के नाम में अथवा बैंक ब्रान्च खाता संख्या में ऐसी कोई भिन्नता आती है जिसके कारणवश राशि का अन्तरण संबंधित ग्राम पंचायतों के खातों में किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा हो तो ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने पर अविलम्ब " सरपंच ग्राम पंचायत.....(प.स..... जि.प.....) के पक्ष में डी.डी./बैंकर्स चैक बनाया जाकर संबंधित पंचायत समिति कार्यालय या संबंधित जिला परिषद कार्यालय या इस विभाग को तत्काल प्रेषित करावें। किसी भी स्थिति में राशि बैंक द्वारा नहीं रोकी जावे। अतः उक्तानुसार अपनी सहायक बैंको को राशि अन्तरण के समय निर्देश आपके स्तर से प्रेषित करें। अपनी सहायक बैंकों से ग्राम पंचायतों के सही बैंक खातों में एवं ट्रुटि की स्थिति में डी.डी./बैंकर्स चैक से राशि के अन्तरण की पुष्टि प्राप्त कर सम्पूर्ण राशि के अन्तरण की की पुष्टि विभाग को 7 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।
11. समस्त चीफ मैनेजर / ब्रान्च मैनेजर संबंधित बैंक को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया में किसी भी बैंक को राशि के हस्तान्तरण करने अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी करने इत्यादि पर किसी भी तरह का कोई कमीशन/सर्विस चार्ज आदि देय नहीं होगा।
12. आहरण एवं वितरण अधिकारी, विभाग मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त स्वीकृति के आधार पर संलग्न सूची के अनुसार बैंक वार एफ.वी.सी. बिल तैयार कर कोषालय, सचिवालय परिसर को प्रेषित करने की तत्काल व्यवस्था करावे।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार हस्तान्तरित होने वाली पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष की राशि के सम्बन्ध में अपने क्षेत्रस्थ विकास अधिकारीगण एवं सरपंचगण को तत्काल सूचित करवाये कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी दिशा-निर्देशों तथा राज्य वित्त आयोग चतुर्थ के अन्तरिम दिशा निर्देशों के अध्येधीन रहते हुये किया जावे तथा समस्त विकास अधिकारीगण इस बाबत अपने क्षेत्रस्थ ग्राम पंचायतों को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर दें, यह सुनिश्चित भी करावे।
14. लेखाधिकारी, जिला परिषद समस्त ।
15. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त को प्रेषित कर निर्देश है कि उपरोक्तानुसार हस्तान्तरित होने वाली पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष की राशि के सम्बन्ध में अपने क्षेत्रस्थ सरपंच, ग्राम पंचायत को तत्काल सूचित करवाये कि उक्त राशि का उपयोग विभाग द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बन्ध कोष के तहत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु जारी दिशा-निर्देशों तथा राज्य वित्त आयोग चतुर्थ के अन्तरिम दिशा निर्देशों के अध्येधीन रहते हुये किया जावे।
16. प्रोग्रामर मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
17. लेखा, सांख्यिकी/अंकमिलान/संकलन शाखा, मुख्यालय/रक्षित पत्रावली।

  
अधिशायी अभियन्ता (टी.सी.)